

यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी.के.श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं सुश्री सरुनी शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.07.2018 से 18.07.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### **भाग-I**

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री डी0के0 श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.11.2016 से 01.12.2016 तक श्री अमर नाथ साहू, लेखापरीक्षा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 01/2014 से 03/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 01/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** लाइसेन्स, फिटनेस टैक्स, पंजीकरण इत्यादि कार्य तहसील-विकासनगर कालसी ट्यूनी, चकराता का सम्पूर्ण भाग।

(ii) (अ) **राजस्व विवरण:**

विगत तीन वर्षों मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

| वर्ष    | अर्जित राजस्व (₹ लाख में) |
|---------|---------------------------|
| 2015-16 | 722.07                    |
| 2016-17 | 843.05                    |
| 2017-18 | 1024.06                   |

(III) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

| वर्ष    | प्रारम्भिक अवशेष |             | आयोजनागत |      | आयोजनेत्तर |       | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---------|------------------|-------------|----------|------|------------|-------|------------|---------|
|         | स्थापना          | गैर स्थापना | आवंटन    | व्यय | आवंटन      | व्यय  |            |         |
| 2015-16 | -                | -           | -        | -    | 55.12      | 48.41 | -          | 6.71    |
| 2016-17 | -                | -           | -        | -    | 53.18      | 51.84 | -          | 1.34    |
| 2017-18 | -                | -           | -        | -    | 90.05      | 89.36 | -          | 0.69    |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

| वर्ष      | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय अधिक्य (+) | बचत (-) |
|-----------|--------------|------------------|---------|-----------------|---------|
|           |              |                  |         |                 |         |
| लागू नहीं |              |                  |         |                 |         |

(iii) इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय से किया जाता है। राजस्व संग्रह को सम्मिलित करते हुए इकाई ..... 'A' ... श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव- आयुक्त - अपर आयुक्त- सहायक आयुक्त- R.T.O- A.R.T.O- T.T.O

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - माह 10/2016 , 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - माह 03/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग 2 "ख"****प्रस्तर- 1: फिटनेस नवीनीकरण न कराये जाने से राजस्व अवरोधन ` 8.69 लाख।**

केंद्रीय मोटर-यान नियमावली, 1989 के नियम 62(2) के अन्तर्गत वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र नवीनीकरण किए जाने का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 894 दिनांक 29.12.2016 के बिन्दु 81 के अनुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र अनुदत्त करने या उसका नवीनीकरण करने के लिए किसी यान के परीक्षण का संचालन किए जाने हेतु हल्के वाहन के लिए ` 400/-, मध्यम एवं भारी वाहन के लिए ` 600/- फीस के साथ-साथ मोटर-यानों की फिटनेस के लिए प्रमाण-पत्र अनुदत्त करना या उसका नवीनीकरण हेतु ` 200/- फीस भी देय है। फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पश्चात विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए ` 50/- की अतिरिक्त फीस भी देय है।

कार्यालय सहा. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वाहनों के फिटनेस सम्बन्धी अभिलेखों व उपलब्ध सूचना की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (07/2018) तक 31 माल वाहनों व 21 यात्री वाहनों (कुल 52 वाहनों) के फिटनेस प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। फिटनेस का नवीनीकरण न किए जाने से विभाग द्वारा ` 35,400/- फिटनेस फीस के साथ-साथ ` 8,33,600/- अतिरिक्त/विलम्ब फीस (कुल ` 8,69,000/-) के रूप में वसूल नहीं किए गए थे (03/2018 तक) (विवरण संलग्नक-I व II)।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा कि वाहन स्वामियों को नोटिस प्रेषित कर वाहनों का फिटनेस सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 "ख"**

**प्रस्तर-2: समय से वाहनों की नीलामी न किए जाने से राजस्व क्षति ` 1.95 लाख व राजस्व अवरोधन ` 5.59 लाख ।**

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 22 की उप-धारा-1 के अनुसार जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा मोटर वाहन कर या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किए बिना किसी मोटर यान का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहाँ ऐसा अधिकारी मोटर यान को अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है। आगे उप-धारा-3 के अनुसार जहाँ मोटर वाहन कर, शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिनका भुगतान न करने के कारण किसी मोटर यान को इस धारा के अधीन अभिगृहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरुद्ध के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के भीतर उपधारा-(2) के अधीन राजकीय कोष में जमा न कर दिया जाए, वहाँ परिवहन आयुक्त किसी समय, ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करा सकता है और ऐसे यान के विक्रय से प्राप्त राशि से ऐसे यान के सम्बंध में देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में नीलामी से संबंधित पत्रावली की जाँच में पाया गया कि 09 वाहनों (संलग्नक के क्रम संख्या 1 से 9) जिन पर ` 4,34,955/- का कर बकाया था, कि नीलामी वर्तमान (07/2018 तक) नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त इन वाहनों के पूर्व निर्धारित मूल्यांकन ` 3,90,000/- में समय व्यतीत होने के साथ ` 1,50,000/- मूल्य ह्रास होने पर माह सितम्बर 2017 में सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), विकासनगर द्वारा पत्र संख्या 441/सा.प्र.-217/नीलामी/2017 दिनांक 27 सितंबर 2017 द्वारा उपरोक्त वाहनों का मूल्य 2,40,000/- आँका गया था। अतः स्पष्ट है कि विभाग को वर्तमान (07/2018) तक ` 1,94,955/- (4,34,955 - 2,40,000) की राजस्व हानि हुई थी।

आगे पत्रावली की जाँच में यह भी पाया गया कि कार्यालय द्वारा दिनांक 18.04.2016 व 18.01.2016 को दो वाहन (संलग्नक के क्रम संख्या 10 से 11) विभिन्न अभियोगों में निरुद्ध किए गये थे। इन वाहनों पर बकाया कर क्रमशः ` 74,800/- व ` 7610/- (कुल ` 82,410/-) व शास्ति क्रमशः ` 37,400/- व 3805/- (कुल ` 41,205/-), इस प्रकार कुल ` 1,23,615/- बकाया था ।

इस प्रकार लेखापरीक्षा तिथि (07/2018) तक संलग्न सूची अनुसार 11 वाहनों पर ` 4,34,955+1,23,615 (= ` 5,58,570/) कर बकाया था जिसकी वसूली वर्तमान तक वाहनों की समय से नीलामी नहीं की गयी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि वाहनों की नीलामी सम्पन्न किए जाने हेतु मुख्यालय, देहरादून से अनुरोध किया गया था परन्तु इस सम्बंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुये थे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार 90 दिवस उपरान्त वाहनों की नीलामी की जानी चाहिये थी जो कि नहीं की गयी थी एवं समय व्यतीत होने के साथ-साथ इन वाहनों का मूल्य हास होने से विभाग को ` 1,94,955/- की राजस्व क्षति हुई थी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 "ख"**

**प्रस्तर-3:** वाहनों से कर की वसूली न किया जाना ` 0.75 लाख व शास्ति ।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा-4(1), (1-क) व (2) के अनुसार वाहनों का उपयोग उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बंध में ऐसी दर पर जैसे कि राज्य सरकार द्वारा गज़ट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक कर अथवा त्रैमासिक या मासिक कर (जैसा भी लागू है) का भुगतान न कर दिया गया हो। धारा-9(तीन) के अनुसार धारा-4 की उपधारा-2 के अधीन संदेय कर त्रैमास के लिए अग्रिम में और तत्पश्चात यथास्थिति प्रत्येक अगले अनुवर्ती कलेंडर माह के पंद्रह तारीख या उसके पूर्व या प्रत्येक अगले अनुवर्ती त्रैमास के प्रथम कलेंडर माह के पंद्रह तारीख या उसके पूर्व संदेय होगा। धारा-20(1) के अनुसार देय किसी कर या शास्ति का बकाया भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा; उपधारा-3 के अनुसार कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और शास्ति के बकयों के लिए यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में माँग करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।

अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दर उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं. 1015/ix-1/106/2012 दिनांक 29.11.2012 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी जो कि दिनांक 01.12.2012 से प्रभावी थी:

| क्रम सं. | यान का विवरण  | त्रैमासिक कर की दर<br>(रु में) | वार्षिक कर की<br>दर (रु में) |
|----------|---|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | (क) मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटर कैब को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए   | 430                            | 1700                         |
|          | (ख) मैक्सी कैब के प्रत्येक सीट के लिए   | 510                            | 1900                         |
| 2        | मालयान, जिनका सकलयान भार 3000 कि.ग्रा. से अधिक है, के सकल यान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए   | 230                            | 850                          |
| 4        | संनिर्माण उपस्कर यान या विशेष प्रकार के या विशेष उद्देश्य से निर्मित यान, जो व्यावसायिक उद्देश्य से पंजीकृत हो अथवा उपयोग में लाये जाएँ, के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए | 500                            | 1800                         |
| 7        | शिक्षण संस्थान बस या निजी सेवा यान या स्कूल कैब की प्रत्येक सीट के लिए  | 90                             | 320                          |

अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1-क) के अधीन माल यान पर कर की दर निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी:

| क्रम सं. | यान का विवरण   | वार्षिक कर की दर<br>(रु में) |
|----------|--|------------------------------|
| 3        | मालयान जिनका सकल भार 3000 कि. ग्रा. से अनधिक हो, पर सकलयान भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिए | 1000                         |

अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1-क) के अधीन परिवहन यान पर कर की दर शासनादेश संख्या 07/ix-1/106/2012 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गयी थी एवं जो कि दिनांक 03.01.2014 से प्रभावी थी:

| क्रम सं. | यान का विवरण  | वार्षिक कर की दर<br>(रु में) |
|----------|---|------------------------------|
| 2 (क)    | ड्राइवर को छोड़कर 03 से अधिक और 06 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले तिपहिया मोटर कैब के प्रत्येक सीट के लिए | 845/वर्ष                     |

उक्त अधिनियम की धारा-9(3) अन्तर्गत जहां किसी मोटरयान के सम्बंध में कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाए वहाँ देय कर के अतिरिक्त (देय धनराशि के अनधिक) शास्ति देय होगी। आगे, मोटर कराधान नियमावली, 2003 के नियम 24(2) के अनुसार कर जमा न किए जाने पर देय कर की धनराशि के 50% के बराबर शास्ति भी देय होगी।

कार्यालय सहा. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में वाहनों के कर संबन्धित पत्रावलियों व अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि **संलग्नक-I** व **संलग्नक-II** के अनुसार 26 माल वाहनों व 11 यात्री वाहनों द्वारा देय कर लेखापरीक्षा तिथि (07/2018) तक जमा नहीं कराया गया था। कर जमा न कराये जाने से विभाग को संलग्न विवरण अनुसार क्रमशः रु 17000/- व रु 58843/- (कुल रु 75843/-) (03/2018 तक) कर के रूप में प्राप्त नहीं हुये थे। उक्त के अतिरिक्त इन वाहनों पर नियमानुसार शास्ति भी आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि वाहन स्वामियों को कर जमा हेतु नोटिस प्रेषित कर जमा की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।



**भाग-III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| NR-64/16-17               | -                         | 01,02,03                  |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण : शून्य

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

**भाग-V****आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएं:**  
टिप्पणी- शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं० | नाम              | पदनाम |
|----------|------------------|-------|
| 1        | श्री सुनील शर्मा | ARTO  |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

**लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र**